



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1475/2008 धारा-2/3 गैंगस्टर अधिनियम में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/ गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.देवेन्द्र पुत्र बाबूराम 2. हरसहाय पुत्र रामकुमार दर्जी 3. प्रमोद पुत्र जगराम अहिरवार निवासीगण पथखुरी थाना जरिया जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री सुशील  
कुमार त्रिपाठी



विवेचक-  
उ0नि0 रमेश चन्द्र  
तिवारी



पैरोकार- थाना जरिया  
का0 सन्तोष यादव